

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 144656  
ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(जीर्णोद्धार)-143/2011

पटना, दिनांक:- 08/04/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।  
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- दिनांक 01.04.2004 के पूर्व के अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभुकों को चिन्हित करने के संबंध में ।

महाशय,

वर्ष 1996 से इंदिरा आवास योजना लागू है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले गृह विहीन परिवारों को पक्के घर के निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाती है ।

2. 01.04.2004 के पूर्व इंदिरा आवास की इकाई लागत काफी कम होने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के अनेकों परिवारों के घर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है । तदनुसार वैसे परिवार जिन्हें 01.04.2004 के पूर्व इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, लेकिन किसी कारण से घर अधूरा पड़ा हुआ है, उन्हें एकमुस्त सहायता राशि दिये जाने का प्रस्ताव राज्य स्तर पर विचाराधीन है ।

3. प्रस्ताव के अंतर्गत लाभ पाने वाले परिवारों की पात्रता निम्नवत प्रस्तावित है :-

- लाभुक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का हो, जिसको 01.04.2004 के पूर्व इंदिरा आवास योजना में घर निर्माण स्वीकृत हुआ हो,
- लाभार्थी द्वारा लिंटल स्तर तक का कार्य भौतिक रूप से पूर्ण कर लिया गया हो,
- लाभार्थी को दूसरा कोई पक्का घर नहीं हो,
- लाभार्थी वर्तमान में स्थायी सरकारी सेवक नहीं हो,
- वैसे लाभुक जो पूर्व में योजनान्तर्गत सहायता राशि प्राप्त कर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ भी नहीं किये और राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य में कर लिया है उन्हें इस योजना का लाभ देय नहीं होगा ।

4. इस प्रस्तावित योजना के पूर्व यह आवश्यक महसूस किया गया है कि ऐसे परिवारों की सही और स्पष्ट सूची तैयार की जाय ताकि ऐसे चिन्हित परिवारों को समयबद्ध एकमुस्त सहायता राशि देकर उनके अपूर्ण घरों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके ।

तदनुसार अनुरोध है कि जिले में सर्वेक्षण प्रपत्र में सर्वेक्षण करवाया जाय और इसे ग्राम सभा में रखकर ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त कर विहित प्रमाण पत्र अंकित करते हुए

पंचायतवार एवं प्रखण्डवार सूची तैयार कर एक हार्डकॉपी एवं सीडी0 में 30.04.2013 तक भेजा जाय

।

**सर्वेक्षण प्रपत्र**

प्रखंड का नाम:-

पंचायत का नाम:-

दिनांक 01.04.2004 के पूर्व के अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभुकों की सूची

क्र० सं०	योजना संख्या	वर्ष	लाभुक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	जाति	बी.पी.एल. सं० (तत्समय)	प्रति इकाई दर जिसपर स्वीकृति दी गई	भुगतान की गई राशि	अवशेष भुगतये राशि	भौतिक स्थिति	क्या लाभुक को दूसरा पक्का मकान है (हां/ना)	क्या लाभुक स्थायी सरकारी सेवक हैं (हां/ना)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14


प्रमाणित किया जाता है कि सूची में वर्णित सभी परिवारों के संबंध में सूचना ग्राम सभा में पढ़कर दे दी गई है और ग्राम सभा का अनुमोदन उक्तवत दर्शाया गया है। अंकित की गई सभी सूचनाएं सही हैं।

पंचायत सचिव का  
हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत के मुखिया  
का हस्ताक्षर

प्रखंड विकास पदाधिकारी या  
उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

विश्वासभाजन

  
(अमृत लाल मीणा)  
सरकार के सचिव